


<p>गोख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>प्रार्थना पत्र संख्या 58 / 2022 GCMS NO. 2022/908</p> <p>उनवानी कृष्ण कुमार आदि बनाम गणेश आदि</p> <p>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारीख</p> <p>अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>11.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थीगण हाजिर आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तामील कराने में कोई रुची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="144 989 390 1224" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="589 982 966 1213" data-label="Text"> <p style="text-align: center;">  (बिन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी </p> </div> </div>	

